न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील नम्बर 156/2020 (जीसीएमएस नम्बर 2020/00165

1. रामेश्वर पुत्र श्री मोहरपाल जाति गुर्जर निवासी फर्राशपुरा तहसील सिकराय जिला दौसा।

— **अपीलान्ट**

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए उप तहसीलदार, बहरावण्डा, जिला दौसा।

— **रेस्पोडेन्टस**

अपील अन्तर्गत धारा 76 एल.आर.एक्ट विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा निर्णय दिनांक 22.03.2017 उनवानी प्रकरण रामेश्वर बनाम सरकार प्रकरण संख्या 02/2017 व उप तहसीलदार बहरावण्डा के निर्णय दिनांक 27.12.2016 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम रामेश्वर प्रकरण संख्या 06/2016

उपस्थित–

1. श्री उम्मेद सिंह गुर्जर, वकील अपीलान्ट
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. नं. 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांक –08.10.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 22.03.2017 एवं उप तहसीलदार बहरावण्डा के निर्णय दिनांक 27.12.2016 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा जिला दौसा ने निर्णय दिनांक 27.12.2016 को वाके ग्राम फर्राशपुरा के तहसील सिकराय में स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नम्बर 243 रकबा 0.15 है0 पर सम्वत 2073 में गेहूं की काश्त कर अतिक्रमण करने पर अपीलान्ट को कब्जाशुदा आराजी से बेदखल कर, 158/– रूपये से दण्डित करते हुये फसल नीलामी करने एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुये 60 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने के आदेश पारित कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के यहां पेश की गई, जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.03.2017 द्वारा खारिज कर दी गयी।

3. उप तहसीलदार बहरावण्डा जिला दौसा के निर्णय दिनांक 27.12.2016 तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 22.03.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उप तहसीलदार बहरावण्डा जिला दौसा दिनांक 27.12.2016 तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा दिनांक 22.03.2017 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया गया कि अपीलान्ट के विरूद्ध पटवारी द्वारा एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि आपने कृषि वर्ष संवत 2073 के दौरान उप तहसील बहरावण्डा के ग्राम फर्राशपुरा के राजकीय भूमि खसरा नम्बर 243 रकबा 0.15 हैक्ट0 पर अतिचार किया गया है उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा ने अपीलान्ट अतिक्रमी का पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर विधि विरूद्ध तरीके से अपीलान्ट को सबूत व

सुनवाई का अवसर दिये बिना व अपीलान्ट की असालतम तामील करवाये बिना अपीलान्ट अनुपस्थिति दिखाकर विधि विरूद्ध तरीके से दिनांक 27.12.2016 को अतिक्रमण शुदा रकबे पर बेदखली पेनल्टी व दो माह के सिविल कारावास के आदेश फरमाये गये। इस निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा के निर्णय के विरूद्ध प्रथम अपील अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा के समक्ष पेश की गई। जिसमें प्रथम अपील न्यायालय द्वारा भी अपीलान्ट की तामील बाबत महत्वपूर्ण तथ्य पर कोई गौर नहीं किया गया और ना ही अपीलान्ट को उचित सुनवाई व सबूत का मौका दिया गया ना ही अपीलान्ट की बहस सुनी गई व विधि विरूद्ध तरीके से अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत का मौका नहीं दिया गया अधीनस्थ अपील न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन किए बिना व अपीलान्ट को उचित सुनवाई व सबूत का मौका दिए बिना अपीलान्ट को सुने बिना अपने निर्णय दिनांक 22.03.2017 द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज फरमा दी गई। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा के समक्ष शीषर्क प्रकरण में अपीलान्ट को समुचित सुनवाई व सबूत का मौका दिए बिना अपीलान्ट की असालतम तामील करवाये बिना अपीलान्ट अनुपस्थिति दिखाकर कोई स्वतन्त्र साक्ष्य लिये बिना पटवारी हल्का से जिरह का मौका दिए बिना निर्णय फरमाया गया अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा द्वारा भी उपरोक्त तथ्यो पर गौर नहीं फरमाया गया और ना ही अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत का मौका दिया गया तथा बिना सुने पत्रावली का अवलोकन किए बिना निर्णय फरमा दिया गया है जबकि उक्त अतिक्रमण शुदा रकबे पर अपीलांट का वर्तमान में कोई कब्जा नहीं है वर्तमान में उक्त रकबा खाली पडा हुआ है। इस तथ्य के बावजूद भी अपील को खारिज करने में अधीनस्थ न्यायालय ने उप तहसीलदार बहरावण्डा के निर्णय को यथावत रखकर गलती की है। कानूनन सजा जैसे प्रकरण में पीडित पक्ष को सनुवाई का मौका देकर ही निर्णय पारित करना चाहिए लेकिन हर दो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विचार या गौर ना कर निर्णय पारित करने में भूल की है। अपीलान्ट को हर दो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई सुनवाई व सबूत का मौका नहीं दिया गया ना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा पटवारी हल्का से जिरह का मौका भी नहीं दिया गया और पटवारी हल्का की झूठी रिपोर्ट के आधार पर पूर्ववर्ती अतिक्रमण साबित नहीं होते हुए भी पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए विधि विरूद्ध तरीके से पत्रावली का अवलोकन किए बिना निर्णय फरमाया है जो हर दो अधीनस्थ न्यायालय निर्णय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में ऐसा कोई तथ्य भी नहीं बनाया है जिससे पश्चातवर्ती अतिक्रमण माना जावे और ना ही पत्रावली पर ऐसा ही कोई सबूत व दस्तावेज प्रस्तुत है अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में मूल आधार पटवारी हल्का की रिपोर्ट को माना है। परन्तु पटवारी हल्का रिपोर्ट प्रदर्श भी नहीं है। अतः बिना प्रदर्शित की हुए रिपोर्ट व दस्तावेज को साक्ष्य में ग्रहण नहीं किया जा सकता है। अपीलान्ट का उक्त प्रश्नगत आराजी खसरा नं0 243 रकबा 0.15 है0 भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है। वर्तमान में खाली पडी हुई है। इसलिये भी हर दो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा दिनांक 22.03.2017 उनवानी रामेश्वर बनाम सरकार मुकदमा नं0 02/17 व निर्णय उप तहसीलदार बहरावण्डा दिनांक 27.12.2016 मुकदमा नं0 06/2016 उनवानी सरकार बनाम रामेश्वर निरस्त फरमाने की कृपा करें।

6. रेस्पोडेन्ट नं. 1 राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट अतिक्रमी द्वारा फर्राशपुरा में स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नम्बर 243 के रकबा 0.15 है0 पर गेहूं की काश्त कर अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की कैफीयत में पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना अंकित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस जारी किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

27.12.2016 को बेदखल कर 50 गुणा शास्ति कायम कर 60 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि पटवारी हल्का फर्राशपुरा उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध एक रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा के समक्ष इस आशय के पेश की गई कि अपीलान्ट ने चरागाह भूमि खसरा नम्बर 243 रकबा 0.15 है0 पर सम्वत 2073 में गेहूं की काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा ने अपीलान्ट के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निर्णय दिनांक 27.12.2016 पारित कर अपीलान्ट को कब्जाशुदा आराजी से बेदखल कर 50 गुणा शास्ति आरोपित करते हुये फसल निलामी करने एवं अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुये 60 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने के आदेश पारित किया गया है। पटवारी हल्का के बयान में अपीलान्ट द्वारा पूर्व में सम्वत 2072 में अतिक्रमण कर काश्त की थी। जिसको बेदखल किया जाना अंकित किया गया है। जिससे यह साबित होता है कि अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पटवारी की रिपोर्ट एवं पटवारी के बयान संलग्न है। अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है, जबकि कानून राजकीय चरागाह भूमि पर अतिक्रमण का अधिकार किसी को भी प्रदत्त नहीं है और यह कृत्य दण्डनीय है। अपीलान्ट द्वारा उक्त राजकीय सिवायचक भूमि पर संवत 2072 के समय से अतिक्रमण किया था। जिसे बेदखल करने के पश्चात् पुनः राजकीय चरागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, जिससे वह पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। ऐसे में राजकीय चरागाह भूमि पर अतिक्रमण करने की प्रवृति को रोकने एवं अकुशं लगाने के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेशों में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य सबूत, तथ्य या दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे अपीलार्थी राजकीय चरागाह भूमि पर अतिक्रमी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.03.20.17 को यथावत रखा जाता है।

(डॉ. प्रवीण कुमार)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय दिनांक 08.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर